प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.04.2025

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 30.04.2025 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाऐ जा रहे अभियान के अंतर्गत रूटीन चेकिंग में टीम बनाकर कुढियागढी अण्डरपास के पास आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग कर रहे थी तभी कुढियागढी की ओर से एक काले रंग की स्प्लेन्डर मोटर साइकिल सवार व्यक्ति को चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया तो एकदम उक्त व्यक्ति ने मोटर साइकिल को भूडगढी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर मोड़कर तेज रफ्तार से भागने लगा। पुलिस टीम ने मोटर साइकिल का पीछा किया और रोकने का प्रयास किया तो कुछ ही दूरी आगे जाने पर उस व्यक्ति की मोटर साइकिल फिसल गई और वह व्यक्ति गिर गया और उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस से पकडे जाने के डर से गिरने पर पीछा कर रहे पुलिस बल पर पूर्व से लोड तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया तो पुलिस टीम द्वारा बुलन्द आवाज में आत्मसमर्पण करने हेतु चेतावनी दी गयी परन्तु चेतावनी का उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं हुआ जिस पर त्वरित जबावी कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ न्यूनतम जवाबी फायर करते हेतु निशाना लगाते हुए फायरिंग की तो उक्त व्यक्ति के बांये पैर में गोली लग गई तथा वह घायल हो गया। जिसके उपरान्त पुलिस टीम द्वारा घायल बदमाश को पकड़ लिया गया। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी डासना भेज दिया गया। जिसको डाक्टर द्वारा संयुक्त जिला चिकित्सालय संजयनगर गाजियाबाद रेफर कर दिया गया। जो उपचाराधीन है। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं तथा मेरे अन्य साथी मिलकर गाजियाबाद व गाजियाबाद देहात क्षेत्र में जगह-जगह से आवारा घूम रहे गौवंश को पकड़कर नहर के किनारे ले जाकर उनको काटकर मांस को अलग अलग जगह पर अच्छे दामों में बेच देते है और बिक्री ना होने वाले बचे हुए गौवंश के अवशेष को नहर में बहा देते हैं जिससे कि किसी को कुछ पता ना चल सके। अभियुक्त ने बताया कि गौवंश को काटकर मांस की तस्करी करने के सम्बन्ध में मैं पहले भी थाना मसूरी गाजियाबाद व अन्य थानों से जेल जा चुका हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व मैने अपने साथी के साथ मिलकर एक निराश्रित गौवंश को पकडकर नहर के किनारे ले जाकर काटकर उसके मांस को बेच दिया था तथा उसका सिर एवं अन्य अवशेष मसूरी नहर में बहा दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बिलाल पुत्र जहीर निवासी किले वाली मस्जिद के पास कस्बा डासना थाना वेवसिटी जिला गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्त बिलाल पुत्र जहीर उपरोक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं जनपद मेरठ में उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, चोरी, आर्म्स एक्ट गैंगस्टर एक्ट आदि से सम्बन्धित 25 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-थाना वेवसिटी पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादिया द्वारा लिखित सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष का दिनांक 29.03.2025 को घर से बिना बताये कहीं चले जाना व काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिलना। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को बरामद कर पीड़िता के धारा 180/183 बीएनएसएस के अन्तर्गत बयान व मेडीकल परीक्षण कराया गया। पीड़िता के बयानों व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 87/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त सनी कुमार का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 29.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सनी कुमार पुत्र वीरपाल निवासी गली नं0 13 सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष को तिगरी गोल चक्कर के पास ताज हाईवे थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त सनी कुमार उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि मेरी पीड़िता से करीब 03 वर्ष पहले मुलाकात हुई थी तथा हमारी बातचीत होने लगी थी। दिनांक 29.03.2025 को मैं पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना लिये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

सनी कुमार पुत्र वीरपाल निवासी गली नं0 13 सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादिया द्वारा लिखित सूचना दी गई कि उसकी नाबालिक पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष का दिनांक 09.04.2025 को घर से बिना बताये कहीं चले जाना व काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिलना। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया तत्पश्चात थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को बरामद कर पीडिता के धारा 180/183 बीएनएसएस के अन्तर्गत बयान व मेडीकल परीक्षण कराया गया। पीड़िता के बयानों व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 87/64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त सागर सैनी का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 29.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सागर सैनी पुत्र मांगेराम सैनी निवासी ग्राम घासीपुरा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर, उम्र करीब 22 वर्ष को जल प्लांट अन्डरपास के नीचे थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त सागर सैनी उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि पीड़िता मेरे रिश्तेदार के सामने एक मकान में किराये पर रहती थी तथा मेरी पीड़िता से करीब 01 वर्ष पहले मुलाकात हुई थी। धीरे-धीरे मेरी पीड़िता से बात-चीत होने लगी तथा दिनांक 09.04.2025 को मैं पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इस दौरान मैंने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

सागर सैनी पुत्र मांगेराम सैनी निवासी ग्राम घासीपुरा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर, उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 50,000 की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 30.04.2025 को साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक नितिन कुमार निवासी शिवपुरी सैक्टर 9 विजयनगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 91000/- में से 50,000/- को आवेदक को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक नितिन कुमार के साथ 50 हजार रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 30.04.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 50,000/- धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना विजयनगर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाले पुलिस टीम

थाना विजयनगर साइबर सेल

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी बरामद।

दिनांक 18-04-25 को वादी श्री राजकुमार पुत्र किशन लाल निवासी सी-1210 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी कि किसी अज्ञात चोर द्वारा मेरी होन्डा एक्टीवा स्कूटी रजि न0- UP-14-CX-2069 को चोरी कर ली गयी है। उक्त सूचना पर तत्काला थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना स्तर पर टीमों का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 30-04-25 को मुखबिर की सूचना पर पुश्ता रोड नियर गौशाला के पास चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तगण को मय चोरी की स्कूटी व मोटरसाइकिल के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार कि गयी अभियुक्तगण ने बताया कि हमारे पास दोनो वाहन चोरी के है जिन्हें हम आज बेचने के लिये ले जा रहे थे। यह स्कूटी रजि0 नं0 UP 14 CX 2069 रंग ग्रे दिनांक 16.04.2025 को सी ब्लाक नन्दग्राम से चोरी की थी तथा हीरो होण्डा स्पेलण्डर प्लस रजि0नं0 UP 15 DY 2995 रंग ब्लैक सिल्वर को हमने मिलकर देहली गेट कोतवाली से दिनांक 16.04.2025 को चोरी की थी। हम लोग नशे के आदि है इसलिए अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी चकारी का कार्य करते है।

अभियुक्त का नाम व पता –

1. बादल पुत्र कैलाश निवासी गली नं0 5, सी ब्लाक आश्रम रोड दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

2. वीशू पुत्र जोनी निवासी म0नं0 869 गली नं0 1 बोम्बे कॉलोनी एसबीएन स्कूल के पीछे थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष ।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त बादल उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी व वाहन चोरी के कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।
2. अभियुक्त वीशू उपरोक्त के विरुद्ध मारपीट के 02 अभियोग, एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग, चोरी का 01 अभियोग कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण –

1. एक स्कूटी होन्डा एक्टिवा रजि नं0 UP 14 CX 2069
2. एक मो0सा0 हीरो होन्ड स्पलेन्डर रजि0नं0 UP 15 DY 2995

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।